निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 57/अपील/20 तारीख दायरा 12.10.2020

उनवान अपील

बालचन्द वल्द गोपीलाल जाति लोढा(तंवर)आयु 60 साल निवासी रामपुरिया तहसील बकानी

(अपीलान्ट)

बनाम

01. फूलचन्द वल्द मोतीलाल जाति लोढा निवासी रामपुरिया तहसील बकानी
02. रोशनी बाई पत्नि फूलचन्द जाति लोढा निवासी देवरी तहसील बकानी
03. पूरा वल्द केशा जाति लोढा(तंवर)निवासी रामपुरिया तहसील बकानी(फोत) कायम मुकामान
3/1 चम्पा लाल वल्द स्व0पूरा जाति तंवर नि0 रामपुरिया तहसील बकानी
3/2 लाल चन्द वल्द स्व0 पूरा जाति तंवर नि0 रामपुरिया तहसील बकानी
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी फैसला तहसीलदार बकानी दिनांक 19.09.2019

उपस्थितः– श्री अमरसिंह लववंशी, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमितोष आचार्य,अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 की और से
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 24.08.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांकः 19.09.2019 जिसके द्वारा ग्राम देवरी की आराजी बाबत नामान्तरकरण सख्या 665 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि ग्राम देवरी तहसील बकानी में खसरा न0 425 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न0 426 रकबा 11 बिस्वा व खसरा न0 427 रकबा01 बीघा कुल किता 3 की 04 बीघा 07 बिस्वा आराजी में अपीलान्ट,रेस्पो0 1 व रेस्पो0 3 का समान 1/3 हिस्सा दर्ज है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। रेस्पो0 न0 1 ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी रेस्पो0 न0 2 को जरिये रजिस्ट्री 28.05.2019 को बेचान कर दी जिस आधार पर रेस्पो0 न0 2 के हक में इन्तकाल न0 665 तस्दीक कर दिया गया। किन्तु पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी में से रेस्पो0 न0 1 के स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा कम करते हुए अपीलान्ट का नाम हटा कर रेस्पो0 न0 1 का नाम चढा दिया गया। उक्त भूल को सुधारने के लिये पटवारी ने दिनांक 11.06.2020 को रेस्पो0 न0 4 को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई व इस बाबत रेस्पो0 न0 2 ने भी तहसीलदार को दिनांक 07.09. 2020 को दिया गया । राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई गलती को शुद्ध कर पूर्व की भांति अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज करने अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 03 के फोत होने पर उसके कायम मुकामान को पत्रावली पर लिया गया। रेस्पो0 1 व 2 की और से अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य उपस्थित हुए रैस्पो0 3 के कायम मुकामान बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

जिला कलक्टर
झालावाड़

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मैंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम देवरी तहसील बकानी में खसरा न0 425 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा न0 426 रकबा 11 बिस्वा व खसरा न0 427 रकबा01 बीघा कुल किता 3 की 04 बीघा 07 बिस्वा आराजी मं अपीलान्ट,रेस्पो0 1 व रेस्पो0 3 का समान 1/3 हिस्सा दर्ज है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। रेस्पो0 न0 1 ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी रेस्पो0 न0 2 को जरिये रजिस्ट्री 28.05.2019 को बेचान कर दी जिस आधार पर रेस्पो0 न0 2 के हक में इन्तकाल न0 665 तस्दीक कर दिया गया। किन्तु पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी में से रेस्पो0 न0 1 के स्थान पर अपीलान्ट का हिस्सा कम करते हुए अपीलान्ट का नाम हटा कर रेस्पो0 न0 1 का नाम चढा दिया गया। राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई गलती को शुद्ध कर पूर्व की भांति अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। इस पर रेस्पो0 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा भी उक्त गलत तस्दीक किये गये इन्तकाल को खारिज कर नवीन इन्तकाल हेतु निवेदन किया गया। पेरोकार सरकार ने गलत रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक इन्तकाल को दुरूस्त करने का अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज से यह तो साबित है कि ग्राम देवरी की आराजी जो शामलाती थी जिसमें से फूलचन्द (रेस्पो0 न0 1) द्वारा अपना 1/3 हिस्सा रोशनी बाई तंवर (रेस्पो0 न0 2) को बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 28.05.2019 को किया गया था। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट "मुताबिक रजिस्ट्री पत्र नामा0 दर्ज कर पेश है" प्रस्तुत कर दिया गया और सम्बन्धित आई एल आर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट" अंकन सही है" कर दी गई व तत्समय कार्यरत तहसीलदार जो उप पंजीयक भी हैं जिनके द्वारा दिनांक 28.05.2019 को उक्त आराजी के बेचान की रजिस्ट्री भी की गई थी ने भी उक्त रजिस्ट्री को देखने तक की जहमत नही उठाई और रेस्पो0 न0 1 के स्थान पर अपीलान्ट को बेचान कर्ता बताकर इन्तकाल न0 665 दिनांक 19.09.2019 को तस्दीक कर दिया गया। उक्तानुसार मात्र रजिस्ट्री का अवलोकन नही करने से व गलत रिपोर्ट के आधार पर ग्राम देवरी का नामान्तरकरण संख्या 665 तस्दीक होना साबित है जिसको किसी भी सूरत में उचित नही कहा जा सकता। अतः ग्राम देवरी का नामान्तरकरण संख्या 665 निरस्त किया जाता है व तहसीलदार तहसील बकानी को दिनांकः 28.05.2019 को ग्राम देवरी की आराजी के फूलचन्द द्वारा रोशनी बाई को किये गये बैचान पश्चात हुई रजिस्ट्री के आधार पर पुनः नवीन इन्तकाल तस्दीक करने के निर्देश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बकानी को भिजवाई जावे। तत्कालिक पटवारी,आई एल आर व तहसीलदार द्वारा की गई लापरवाही पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति सम्बन्धित ओ आई सी को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़